समाचार

एन.टी.पी.सी. द्वारा बिना अनुमति किया जा रहा सी.एच.पी. का निर्माण

(आयुक्त श्री आलोक चन्द्रवंशी ने जारी की नोटिस, निर्माण कार्य व वृक्षों की कटाई बंद करने को कहा)

कोरबा 15 अप्रैल 2015 —एन.टी.पी.सी. द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कोल हैडलिंग प्लांट सी.एच.पी. का निर्माण किया जा रहा है तथा इस हेतु हरे भरे वृक्षों की कटाई भी की जा रही है। आयुक्त श्री आलोक चन्दवंशी ने आज एन.टी.पी.सी. को नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण कार्य को रोकने एवं हरे भरे वृक्षों की कटाई बंद करने को कहा है।

आयुक्त श्री आलोक चन्द्रवंशी ने एन.टी.पी.सी. कोरबा के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि एन.टी.पी.सी. द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा से अनुमति प्राप्त किये बिना ही एन.टी.पी.सी. परिसर के बाहर सी.आई.एस.एफ. कालोनी के समीप कोल हैडलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं भूमि विकास नियम 1984 में दिये गये प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, आपके द्वारा स्थल पर हरे भरे वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। आयुक्त श्री चन्द्रवंशी ने कहा है कि एन.टी.पी.सी. तत्काल निर्माण कार्य बंद करे एवं वृक्षों की कटाई बंद कर लिखित में इसकी सूचना दें। उन्होने कहा है कि नगर पालिक निगम कोरबा से विविधत अनापत्ति अनुमति प्राप्त कर ही कोल हैडलिंग प्लाट का निर्माण किया जाए, यदि आपके द्वारा समयावधि के भीतर कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया जाता तो नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।